विषय :—सेवा सम्बन्धी मामलों पर मन्त्रणा प्राप्त करने के लिए केसिज को मुख्य सचिव को भेजने का ढंग।

क्या वित्तायुक्त राजस्व एवं सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उपरोक्त विषय पर इस विभाग के अशा: परिपत्र क्रमांक 3023-1 जी0 एस0-1-75, दिनांक 6-6-1975 (प्रति तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न है), की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. संदर्भित परिपत्र में मुख्य सचिव को केसिज भेजने के ढंग की विस्तृत कार्यविधि का उल्लेख किया हुआ है, लेकिन अब भी इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन नहीं किया जा रहा है। अब भी अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव ही अपने स्तर से ही मामला मुख्य सचिव को भेज देते हैं, जबकि उक्त हिदायतों में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रशासकीय सचिव के माध्यम से ही मामला मुख्य सचिव को भेजा जाए।

3. इसके अतिरिक्त कई एक मामलों में न तो प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव की दोहरी प्रति लगी होती है, न ही हवाला के तौर पर दी गई हिदायतों/नियमों की प्रति लगी होती है और न ही उस प्वाईन्ट (बिन्दु) का विशेष रुप से उल्लेख होता है, जिस पर मुख्य सचिव की मंत्रणा प्राप्त की जानी है। इन सबके अभाव में प्रस्ताव विभागों को वापिस करने पड़ते हैं, जिस कारण से मामले के निपटान में अनावश्यक बिलम्ब होता है।

4. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में कोई भी प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजते समय उपरोक्त हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जब भी कोई प्रस्ताव मुख्य सचिव को मन्त्रणा हेतु भेजा जाए, उसमें उपरोक्त वर्णित पूर्ण सूचना संलग्न हो और वह प्रस्ताव प्रशासकीय सचिव के माध्यम से ही भेजा जाए।

5. वित्तायुक्त राजस्व एवं सभी प्रशासकीय सचिवों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने अधीन सभी विभागाध्यक्षों को भी ये निर्देश जारी करें कि वह मुख्य सचिव की मन्त्रणा लेने बारे कोई भी पत्र व्यवहार सीधे ही मुख्य सचिव से न करें, बल्कि अपने प्रशासकीय सचिव को ही लिखें। इस सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों को जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस विभाग को भी भेजी जाए।

6. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

हस्ता./-
(खैराती लाल विज)
अधीक्षक, सामान्य सेवाए-I
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) वित्तायुक्त राजस्व एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा: क्रमांक 50/3/82-5 जी0 एस0-I — दिनांक 30 अगस्त, 1982

पृष्ठाक्रम क्रमांक 50/3/82-5 जी0एस0-I — दिनांक 30 अगस्त, 1982

उपर्युक्त की एक-एक प्रति अनुलग्निक की प्रति सहित सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, हिसार/अम्बाला मण्डलय हिसार/अम्बाला तथा सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। उनसे अनुरोध है कि यदि किसी मामले पर मुख्य सचिव की मन्त्रणा लेने की आवश्यकता पड़े तो मामला हमेशा अपने प्रशासकी विभाग के माध्यम से ही प्रस्तुत किया करें। उनसे सीधा प्राप्त हुआ पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और वह उन्हें लौट दिया जाएगा।

हस्ता./-